झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–217 वर्ष 2017

छोटी कुमारी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, गिरिडीह
3. उप विकास आयुक्त, गिरिडीह
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, गिरिडीह .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदातओं के लिए :– एस0सी0–IV के ए0सी0

06 / 27.02.2019 याचिकाकर्त्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्त्ता ने इस रिट आवेदन में, उत्तरदाताओं को अपना चयन पत्र प्रदान करने और उसे जामुआ ब्लॉक, जिला गिरिडीह के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र, पोथांडीह के लिए अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह (पोषण सखी) के रूप में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश के लिए प्रार्थना की है।

3. याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पोथांडीह आंगनबाड़ी केंद्र, जामुआ ब्लॉक, गिरिडीह के लिए अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह

(पोषण सखी) के रूप में नियुक्त किए जाने वाले योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए दिनांक 27.12.2015 को एक आम सभा आयोजित की गई थी। वह आगे कहते हैं कि इस याचिकाकर्त्ता ने उक्त चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण किया और उच्चतम अंक प्राप्त किया। वह आगे कहते हैं कि मेरिट सूची तैयार की गई थी और इस याचिकाकर्त्ता का नाम क्र0 सं0 1 में आया क्योंकि उसने 58.4 अंक प्राप्त किए थे। वह आगे कहते हैं कि उक्त चयन के बावजूद, उन्हें अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह (पोषण सखी) के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। वह आगे कहते हैं कि यह पर्याप्त होगा यदि इस याचिकाकर्त्ता की नियुक्ति के संबंध में एक उचित आदेश पारित करने के लिए प्रतिवादी सं0 3 उप विकास आयुक्त, गिरिडीह को एक निर्देश दिया जाए। उक्त प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, याचिकाकर्त्ता को आज से दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी सं0 3 के समक्ष अपने दावे के बारे में विस्तार से बताते हुए एक नए अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, निदेशक, कृषि (प्रतिवादी सं0 3) उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक उचित युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा। वह यह भी ध्यान में रखेगा कि क्या याचिकाकर्त्ता ने वास्तव में उक्त अवधि के दौरान काम किया है। यदि याचिकाकर्त्ता ने उक्त अवधि के लिए काम किया है, तो वह उस अवधि के लिए स्वीकार्य मानदेय पाने के हकदार हैं, जिस अवधि में उसने वास्तव में काम किया था।

4. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्त्ता को अभ्यावेदन दाखिल करके प्रतिवादी सं0 3 से संपर्क करना चाहिए और यदि ऐसा अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी सं0 3 सिफारिश और अन्य

दस्तावेजों के अनुसार याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करेगा और आवश्यक आदेश पारित करेगा।

5. आदेश की प्रकृति और की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, जिसे मैं पारित करने का इरादा रखता हूँ, उत्तरदाताओं को विरोध में प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश देना आवश्यक नहीं है।

6. पार्टियों के निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि उत्तरदाताओं ने अभी तक याचिकाकर्त्ता को नियुक्त करने या ना करने का फैसला नहीं किया है। इस प्रकार, इस स्तर पर प्रतिवादी सं0 3 द्वारा याचिकाकर्त्ता की नियुक्ति के मुद्दा पर एक निर्णय लिया जाना चाहिए।

7. इस प्रकार, मैं याचिकाकर्त्ता को आज से चार सप्ताह के भीतर एक अभ्यावेदन दाखिल करके प्रतिवादी सं0 3 उप विकास आयुक्त, गिरिडीह से संपर्क करने का निर्देश देता हूँ। यदि कोई अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी सं0 3 द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और इस अभ्यावेदन की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पोथांडीह केंद्र, जमुआ प्रखंड, जिला–गिरिडीह के लिए अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह (पोषण सखी) के रूप में याचिकाकर्त्ता के चयन के मुद्दे पर कानून के अनुसार एक युक्तियुक्त आदेश उनके द्वारा पारित किया जाएगा।

8. यदि अनुकूल आदेश पारित किया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता को आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी किए जाने चाहिए और यदि याचिकाकर्त्ता का दावा ठुकरा

दिया जाता है, तो उसके कारणों को उपरोक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ता को सूचित किया जाना चाहिए।

9. उपरोक्त प्रेक्षण एवं निर्देश के साथ, इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)